

समाहरणालयं मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)

श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक-12.01.2021 के 12:30 बजे अपराह्न में जिला अनुकम्पा समिति की आहुत बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी के अनुसार।


सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपर समाहर्ता(स्था0), मधेपुरा द्वारा अनुकम्पा के आधार पर निर्गत विभागीय निदेश(सामान्य प्रशासन विभाग) से सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विभिन्न कार्यालयों/ विभागों से प्राप्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों/ अभिलेखों को उपस्थापित किया गया :-

01. समाहरणालय संवर्ग :-	03
02. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा :-	01
03. जननायक कर्पूरी ठकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा :-	01
04. जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय, मधेपुरा :-	01
05. बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा :-	01
06. ग्रामीण विकास विभाग, कार्य अंचल कार्यालय, मधेपुरा:-	01


कुल योग :-

08(आठ)

क्र0	आवेदक/आवेदिका का नाम	पिता/माता/पति का नाम/ पदनाम/कार्यालय का नाम	दिनांक-12.01.2021 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
1.	असगरी प्रवीण	स्व0 मो0 अजीमउद्दीन, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा	जिला अनुकम्पा समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदिका के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की माँग की गयी। सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-9481, दिनांक-12.10.20 द्वारा अपेक्षित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर अनुकम्पा समिति द्वारा आवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदिका का अद्यतन पारिवारिक सूची संलग्न नहीं है। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त मामले में अद्यतन पारिवारिक सूची उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
2.	श्री आयुष सिंह	स्व0 उपेन्द्र नारायण सिंह, भूतपूर्व व्याख्याता (अवर शिक्षा सेवा), प्राथमिक शिक्षक शिक्षा	जिला अनुकम्पा समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालय पत्रांक-825-2/स्था0, दिनांक-19.12.2020 द्वारा निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार पटना से मार्गदर्शन की माँग की गयी है, परन्तु निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार



		महाविद्यालय, सुखासन मनहरा, मधेपुरा	पटना से मार्गदर्शन अप्राप्त रहने के कारण जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार पटना से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पुनः स्मारित किया जाय। तत्पश्चात् अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
3.	श्री राजन	स्व0 अरविन्द कुमार वर्मा, भूतपूर्व सह प्राध्यापक, औषधी विभाग, जननायक कर्पूरी ठकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा	जिला अनुकम्पा समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालय पत्रांक-824-2/स्था0, दिनांक-19.12.2020 द्वारा आवेदक की उस क्षान्त करने संबंधी पत्र, निदेशक प्रमुख(योग नियंत्रक, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना को भेजा गया है, परन्तु निदेशक प्रमुख(योग नियंत्रक, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना से उस क्षान्त किये जाने संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक प्रमुख(योग नियंत्रक, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना से आवेदक की उस क्षान्त किये जाने संबंधी वांछित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु स्मारित किया जाय तथा उस क्षान्त संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
4.	श्री कमलेश कुमार	स्व0 जयनारायण राय, भूतपूर्व गोदामपाल, परियोजना कार्यालय, सिंहेश्वर	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता रखते हैं। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को ग्रेड पे-1900 (समूह 'ग' तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
5.	मो0 फैयाज	स्व0मो0 इम्तियाज अहमद, भूतपूर्व उ0व0लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा द्वारा आवेदन का अनुशंसा चतुर्थ वर्ग में किया गया है, जबकि आवेदक तृतीय वर्ग की अर्हता रखते हैं। उक्त संबंध में संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय पत्र के आलोक में आवेदक की योग्यता तृतीय वर्ग का रहने के बावजूद भी चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आवेदन के साथ संलग्न अनियोजन प्रमाण पत्र में परिवार के अन्य आश्रितों के सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/नियुक्ति संबंधी सूचना अंकित नहीं है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त विभागीय पत्र एवं आवेदक के परिवार के अन्य आश्रितों का सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/ नियुक्ति संबंधी अनियोजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यालय प्रधान को देने का निर्णय



			लिया गया। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
6.	श्री रुद्राभिषेक	स्व0 अजीत कुमार सिन्हा, भूतपूर्व उ0व0 लिपिक, बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इन्टर है तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता रखते है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को ग्रेड पे-1900 (समूह 'ग' तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
7.	श्री सुधांशु कुमार	स्व0महेन्द्र मेहता, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, प्रखंड कार्यालय, बिहारीगंज	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदन के साथ संलग्न अनियोजन प्रमाण पत्र में परिवार के अन्य आश्रितों के सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/नियुक्ति संबंधी सूचना अंकित नहीं है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से परिवार के अन्य आश्रितों का सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/ नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यालय प्रधान को देने का निर्णय लिया गया। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
8.	श्री आलोक कुमार भारती	स्व0 रविन्द्र राम, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, मुखलीगंज	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदन के साथ संलग्न अनियोजन प्रमाण पत्र में परिवार के अन्य आश्रितों के सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/नियुक्ति संबंधी सूचना अंकित नहीं है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक से परिवार के अन्य आश्रितों सरकारी /गैर सरकारी कार्य में नियोजन/ नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यालय प्रधान को देने का निर्णय लिया गया। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

शर्तें :- सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त अनुशंसित आवेदक/आवेदिका को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नांकित तथ्यों पर अवश्य संतुष्ट हो लेंगे :-

01. आवेदक/ आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्रों इत्यादि का सत्यापन करायेगें तथा नियुक्ति पत्र निर्गत करेगें।
02. आवेदक / आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है तथा अपराधिक मामला उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दंड अथवा कारावास की सजा देने का संभावना है अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा इससे अधिक दंड दिया जा सकता है।

[Handwritten signatures and initials]


03. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक / आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है तो संबंधित आवेदक / आवेदिका की नौकरी समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा प्राप्त वेतन की यजूली की जायेगी।
04. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति यदि मृतक के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करेंगे, तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।
05. नियुक्ति पाने वाले आवेदक / आवेदिका से उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा भी प्राप्त कर लिया जाय।
06. नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि नियुक्त होने वाले कर्मचारी विवाह में किसी प्रकार दहेज नहीं लेंगे।
07. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पाने वाले आवेदक/आवेदिका को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि दूसरी शादी विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही करेंगे।
08. नियुक्ति के पूर्व संबंधित आवेदक / आवेदिका से असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
09. नियुक्ति के पूर्व आवेदन/ आवेदिका से अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

नियुक्ति पदाधिकारी/ नियोक्ता अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु संगत प्रावधानों के आलोक में आवेदक/ आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात/प्रमाण पत्र की जाँच अपने स्तर से करने के उपरान्त व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।


12.1.21
राज्यकर संयुक्त आयुक्त,
वाणिज्यकर, मधेपुरा



12/01/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
मधेपुरा



12/01/21
जिला कल्याण पदाधिकारी,
मधेपुरा


14/1/21
जिला स्था0 उप समा0,
मधेपुरा


12/01/21
अपर समाहर्ता,
मधेपुरा


12/1/21
उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा


12/1/21
अपर समाहर्ता(स्था0),
मधेपुरा



12-1-21
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ह्लापांक.....37-2...../स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 12 /01/2021

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ अपर समाहर्ता, मधेपुरा/ जिला बन्दोवस्त पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्राचार्य, जननायक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा/ असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा/ राज्यकर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यकर, मधेपुरा/ जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा/ अधीक्षण अभियंता, प्रा.क.वि.अंचल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


12-1-21
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।